

२४/१०/२५

अधिवक्ता अपीलान्त अनु. अधिवक्ता अपीलान्त
एवं अपीलान्त को न्यायालय समय में रुक-
रुक कर आवाजें लगाई गईं, किन्तु उनकी
ओर से कोई उप. नहीं आये। इसके
अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलान्त का रेस्पो. सं.
०। से १६ तक के सम्मन रीज. पेश करने
हेतु पूर्व में कई अवसर दिये दिये जा
चुके हैं। किन्तु आदिनों ३ तक अधिवक्ता
अपीलान्त ने रेस्पो. के सम्मन पेश नहीं
दिये। अतः उक्त अपील अद्य हाजरी,
अद्य पैरवी एवं अतः तत्काल में
श्वारिज की जाती है। पत्रावली इतनी
मुलाबित्त निर्मित की जाऊँ बाद तत्काल
सेरव्या से रुक होऊँ दायित्व दफ्तर हो।

